## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C / 6382 / जबलपुर, दिनांक 12/12/2022

श्री फूलचन्द्र यादव, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "मध्यप्रदेश बोर्ड, भोपाल से कक्षा 12वीं सत्र 2022–2023" में अध्ययन करने एवं परीक्षा में प्राइवेट छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

PKA 9-12-22

(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C / 6383 / जबलपुर, दिनांक 12/12/2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167–ए(भाग)/2974 इंदौर, दिनांक 05.11.2022 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार प्रशा/कम–पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

3. एस.पी.एस.ए (एस.ए) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर (जुडिशियल) स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. श्री फूलचन्द्र यादव, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/12/22

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)